A.F.R.

Neutral Citation No. - 2024:AHC-LKO:1265

Court No. - 27
Case :- APPLICATION U/S 482 No. - 12244 of 2023
Applicant :- Sunil Dutt Tripathi
Opposite Party :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lucknow And Another
Counsel for Applicant :- Ishan Baghel,Sagar Singh,Umang Rai
Counsel for Opposite Party :- G.A.

Hon'ble Subhash Vidyarthi,J.

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री इशान बघेल तथा विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार सिंह को सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

2. धारा 482 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत इस प्रार्थना–पत्र द्वारा प्रार्थी ने मु०अ०सं०–25 सन् 2023 अंतर्गत धारा 504, 506, 286, 323 भा०द०वि० एवं धारा 30 आयुध अधिनियम, थाना–गाजीपुर, जनपद–लखनऊ के आधार पर संस्थित वाद संख्या–39329 सन् 2023 में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2023 की वैधता को चुनौती दी , जिसके द्वारा प्रार्थी की पिस्टल, 4 जिन्दा कारतूस और पिस्टल के लाइसेन्स को अवमुक्त किए जाने का प्रार्थना–पत्र निरस्त किया गया है।

3. संक्षेप में, वाद के कथन इस प्रकार हैं कि दिनांक 14.01.2023 को प्रार्थी तथा सह–अभियुक्त सचिन शर्मा के विरुद्ध धारा 307, 504, 506 के अपराध के लिए थाना –गाजीपुर, जनपद लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 25 सन् 2023 इन कथनों के साथ अंकित की गई कि शिकायतकर्ता तथा अन्य लोगों को जान से मारने की नीयत से

अभियुक्तगण तथा कुछ माफिया ने जान से मारने की नीयत से लगातार गोलियां चलाईं, किंतु किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई।

4. विवेचना के दौरान धारा 307 का आरोप पुष्ट नहीं हुआ तथा दिनांक 27.03.2023 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 504, 506, 286, 323 भा०द०वि० एवं धारा 30 आयुध अधिनियम,1959 के अपराध के संबंध में आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ।

5. प्रस्तुत मामले में प्रार्थी को दिनांक 23.01.2023 के आदेश द्वारा सत्र न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। दिनांक 22.05.2023 को प्रार्थी ने अपने पिस्तौल, 4 कारतूस तथा आयुध लाइसेन्स को अवमुक्त किए जाने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया। इस प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी जिस पर पुलिस द्वारा सूचित किया गया कि शस्त्र निरस्तीकरण के संबंध में कोई भी वाद जिलाधिकारी महोदय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

6. आयुध अवमुक्ति प्रार्थना–पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

7. प्रार्थना–पत्र को निरस्त किए जाने के आदेश दिनांक 02.11.2023 में न्यायालय ने कहा है कि प्रतिपक्षीगण को पकड़े जाने का भय दिखाई देने पर बचने के लिए वादी व उनके साथियों को धमकाने की नीयत से पिस्टल से फायर करते हुए मौके से निकलकर भाग गए । आरोप–पत्र धारा 30 आयुध अधिनियम में भी प्रेषित किया गया है।मात्र धारा 307 दं०प्र० सं०

का लोप होना माल का अभियुक्त के पक्ष में अवमुक्त किए जाने का आधार नहीं है।

8. घटना में मात्र दोनों अभियुक्तगण को चोट कारित हुई है तथा उनकी चोट प्रपत्र शपथ–पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं। अभियुक्तगण द्वारा किसी व्यक्ति को कोई चोट कारित किया जाना सिद्ध नहीं हो पाया है।

9. राज्य की तरफ से प्रस्तुत प्रति –शपथ पत्र के साथ सह –अभियुक्त सचिन शर्मा की बहन हर्षिता सिंह का बयान संलग्न किया गया है जिसमें उन्होंने यह कहा कि आठ–दस लोग सचिन शर्मा के साथ मारपीट कर रहे थे, जिनको प्रार्थी ने बचाने का प्रयास किया तब भीड़ दोनों लोगों पर उग्र होकर हमलावर होने लगी। बचाव का कोई रास्ता न देख और भीड़ को हावी होता देख प्रार्थी द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से आसमान में ऊपर की तरफ फायर कर दिया गया था तथा इसके बाद दोनों लोग वहां से अपनी जान बचाकर चले गये थे। शिकायतकर्ता ने दुर्व्यवहार किया व अभियुक्तगण को मारापीटा भी और घटना को बढ़ा –चढ़ाकर मुकदमा भी दर्ज करा दिया। जबकि जान से मारने की नीयत से कोई फायर नहीं किया गया था।

10. धारा 30 आयुध अधिनियम, आयुध लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने को अपराध घोषित करती है, किंतु लाइसेंसी आयुध से आत्मरक्षा में फायर किया जाना आयुध अधिनियम की किस शर्त का उल्लंघन है यह न तो आलोच्य आदेश दिनांक 02.11.2023 में विद्वान मजिस्ट्रेट ने अंकित किया है और न ही विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता न्ययालय को बता

पाए।

11. उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए , जबकि घटना में प्रार्थी तथा सह–अभियुक्त को कई चोटें आई हैं तथा उनके द्वारा किसी व्यक्ति को कोई चोट कारित नहीं की गई है; प्रति शपथ–पत्र के साथ संलग्न साक्षी के बयान के अनुसार मारे–पीटे जाने पर आत्मरक्षा में हवाई फायर किया गया था ; आयुध लाइसेंस निरस्तीकरण की कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है ; आत्मरक्षा में पिस्टल से फायर करना लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं है तथा धारा 30 आयुध अधिनियम का अपराध होना प्रतीत नहीं हो रहा है, न्यायालय का मत है कि विद्वान विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (कस्टम) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2023 विधि में संधार्य नहीं है तथा अपास्त होने योग्य है।

12. तदनुसार, यह प्रार्थना–पत्र **स्वीकार** किया जाता है, आदेश दिनांक 02.11.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा विद्वान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना –पत्र दिनांक 22.05.2023 स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की पिस्टल संख्या "S.H.N.P.B. .45 BORE PISTOL NO. AECM–496 GLOCK 21 MADE IN USA", चार जिन्दा कारतूस (.45 AUTO S&B) तथा आयुध लाइसेंस संख्या 565 थाना विकास नगर (33620100346156 2021) प्रार्थी के पक्ष में अविलंब अवमुक्त किया जाए।

Order Date :- 5.1.2024/sumit

Digitally signed by :-
SUMIT KAPOOR
High Court of Judicature at Allahabad,
Lucknow Bench